(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 233 **नई दिल्ली** **27 नवबंर, 2009**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा मुंबई पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/57/2005 - एमबीपीटी

आदेश

(अक्टूबर, 2009 के 23 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने दिनांक 28 सितंबर 2006 के अपने आदेश के द्वारा मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के दरमान को दिनांक 31 मार्च 2009 तक की वैधतावाली अवधि तक अधिसूचित किया था। एमबीपीटी के दरमान की वैधता को 31 अक्टूबर 2009 तक दिनांक 28 जुलाई 2009 के अपने आदेश के द्वारा इस प्राधिकरण ने अंतिमबार विस्तारित किया था।

2. एमबीपीटी ने प्रशुल्क के सामान्य संशोधन करने के लिए प्रस्ताव दाखिल किया है जिसे संबंधित उपभोक्ताओं/उपभोक्ताओं के संगठन के विचार-विमर्श के लिए रखा गया है। निवेदित अतिरिक्त सूचनाएँ/स्पष्टीकरण पत्तन से अभी तक प्रतिक्षित है।

3. एमबीपीटी नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, इस संकल्प के आधारपर, दिनांक 15 अक्टूबर 2009 के अपने पत्र के द्वारा प्रचलित दरमान की वैधता को 31 दिसंबर 2009 तक जारी रखने के लिए निवेदन किया है। एमबीपीटी अपने प्रस्ताव को नवंबर महिने के प्रथम सप्ताह तक प्रस्तुत करने के लिए सलाह दिया जा चूका है।

4. चूँकि प्रचलित प्रशुल्क की वैधता 31 अक्टूबर 2009 को समाप्त होती है। नवीन प्रस्ताव पर निर्धारित विचार-विमर्श की प्रक्रिया मे लगने वाले समय को ध्यान मे रखते हुए, यह प्राधिकरण प्रचलित दरमान की वैधता को 31 मार्च 2010 तक विस्तारित करता है, या एमबीपीटी के प्रशुल्क के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव पर पारित आदेश की कार्यान्वयन के प्रभावी तिथि तक, इसमे से जो भी पहले हो।

5. यदि इसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान 1 अप्रैल 2009 के बादवाली अवधि मे स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसे निर्धारित किये जानेवाले प्रशुल्क मे पूर्णरूपेण समायोजित किया जायेगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा